कार्यालय प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर

पत्रांक–जी0एस0/ दिनॉक: ....

खुली बोली के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थित कुल 23 यूकेलिप्टस वृक्षों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थित कुल 23 यूकेलिप्टस वृक्षों की बिक्री खुली बोली के माध्यम से बिक्री दिनांक 25.05.2026 को अपराह्न 3.00 बजे उद्यान अनुभाग में किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक ठेकेदार/अधिकृत फर्म रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) धरोहर राशि दिनांक 25.05.2026 को अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे तक उद्यान अनुभाग कार्यालय में नकद जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

वृक्षों का विवरण:–

क्र.सं.	वृक्ष प्रजाति	स्थान	वृक्षों की संख्या
1.	यूकेलिप्टस	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महा0	09
2.		कृषि महाविद्यालय	14
		कुल	23

नीलामी की शर्तेः

1. बोलीदाता नियम एवं शर्तों को भली भांति पढ़ लें।
2. बोलीदाता को रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) धरोहर राशि (**वापसी योग्य**) के रूप में नकद उद्यान अनुभाग कार्यालय में जमा करना होगा।
3. उच्चतम बोली की दर की 70 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्वीकृति के उपरांत कार्यादेश पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम भुगतान के रूप में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (**नियंत्रक, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर** अंग्रेजी में **COMPTROLLER, G.B.P.U.A.&T., PANTNAGAR** द्वारा अनुभाग कार्यालय में जमा करनी होगी। शेष 30 प्रतिशत धनराशि माल निकासी करने से पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा माल निकासी की अनुमति नही दी जायेगी।
4. सफल क्रेता को कार्यादेश पत्र प्राप्ति के 03 दिन के भीतर अपने खर्च पर रू0 100.00 के नोटराइज्ड नानजुडिशियल स्टॉम्प पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा, तदोपरांत ही वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। कार्यादेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर सम्पूर्ण वृक्षों का कटान व भूमि को समतल करना अनिवार्य होगा।
5. उच्चतम बोलीदाता एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि को रोकते हुए शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
6. वृक्षों के विक्रय मूल्य पर निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभाग में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद उद्यान अनुभाग में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा सभी शुल्कों के जमा होने के पश्चात ही माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।
7. **वृक्ष जैसा है जहां** है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षों की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व उद्यान अनुभाग का नहीं होगा। अतः बोलीदाता नीलामी से पूर्व मौके पर वृक्षों का भली–भंति निरीक्षण स्वयं कर लें। नीलामी स्वीकृत हो जाने के उपरान्त वृक्षों में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
8. विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी/अधिकारी नीलामी मे भाग लेने के पात्र नही होगें।

9. वृक्षों की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।

10. क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

11. नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है।

12. क्रेता द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर/Performance-Guarantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. **इस विक्रय के लिए अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर सोल आर्बिट्रटेर (Sole arbitrator) होंगे और उनका या उनके द्वारा नामित अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।**

14. कार्यादेश पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर वृक्षों की ढुलाई आवश्यक होगी। 10 दिन पश्चात अगले 07 दिन तक रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क क्रेता द्वारा देय होगा। तत्पश्चात् ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

15. वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासों एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं।

16. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष की जड़ के पास 15 X 15 सेमी0 का गढ्ढा धन छाप लगा दी जायेगी। उक्त धन की छाप वाले वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेगें तथा वृक्ष की जड़ों का खुदान कर भूमि को समतल करना भी अनिवार्य होगा। वृक्षों के कटान के समय विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी क्षति पूर्ति बोलीदाता को करनी होगी।

17. नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

18. क्रेता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारियों का परिचय–पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में अवांछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

19. क्रेता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व पैन कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 19 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता...

पूरा नाम...

पिता का नाम...

ग्राम एवं पो0...

तहसील ....

पिन ....

जनपद.......................................राज्य ....

मोबाइल सं0 ....

प्रभारी अधिकारी
उद्यान अनुभाग